न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
34/2022	03.08.2022	21.06.2022

उनवान

1. सोमदत्त पुत्र प्रभू जाति अहीर निवासी ग्राम जौनायचा खुर्द तह. नीमराना।
2. हनुमान पुत्र प्रभू जाति अहीर निवासी ग्राम जौनायचा खुर्द तह. नीमराना।
3. संतिराम पुत्र प्रभू जाति अहीर निवासी ग्राम जौनायचा खुर्द तह. नीमराना।

—:प्रार्थीगण।

बनाम

1. तहसीलदार साहब,नीमराना जिला अलवर।

:—अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति

1. श्री नोपेन्द्र कुमार एड0 प्रार्थीगण की ओर से ।
2. अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

—::निर्णय::—

दिनांक :—21.06.2023

आज पत्रावली मे पेश हुई। प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

1. प्रार्थीगण ने यह प्रा0पत्र अतंर्गत धारा 128,111 आर0टी0एक्ट,1955 के तहत पेश किया है। जबकि आर0टी0एक्ट0,1955 की धारा 128,111 पत्थरगढी के लिए नही है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128,111 मे पत्थरगढी किए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा गलत अधिनियम व धारा के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है,जो गलत है,परन्तु न्यायहित मे प्रार्थना पत्र को सही अधिनियम व धारा के तहत मानते हुए निर्णित किया जा रहा है। प्रार्थी ने प्रा0पत्र पेशकर निवेदन किया कि आराजी ख.नं. हाल 1396/1901/0.18 वाके ग्राम जौनायचा खुर्द मे स्थित है। जो प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी है। जिसकी सीमा ज्ञान पैमाईश दिनांक 28.06.2022 को तहसीलदार साहब,नीमराना के आदेशनुसार पटवारी हल्का द्वारा की गई जिसकी नकल संलग्न है। प्रार्थीगण उक्त पैमाईश के अनुसार मौके पर पुख्ता पत्थरगढी कराना चाहते है। इसलिए सीमाज्ञान दिनांक 28.06.2022 के मुताबिक पत्थरगढी कराई जावे। पैमाईश के मुताबिक पत्थरगढी करने मे किसी व्यक्ति द्वारा व्यवधान डाला जावे तो पुलिस इमदाद के साथ पुख्ता पत्थरगढी कराई जावे।
2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नाटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना के न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुए लिहाजा उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।
3. वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2073–76 के अनुसार आराजी ख0न0 1396/1901/0.18 प्राथीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 26.06.2022 के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थी को दिनांक 28.06.2022 को सीमाज्ञान कराया गया है। जिस सीमाज्ञान के अनुसार ही मौके पर पत्थरगढी कराया जाना उचित प्रतित होता है।

4. **अतः आदेश है कि:—**

प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर हाल आराजी ख.नं. 1396/1901/0.18 वाके ग्राम जौनायचा खुर्द की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 28.06.2022 के अनुसार कराये जाने के आदेश तहसीलदार,नीमराना को दिए जाते है। आदेश कि प्रति मय नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 28.06.2022 तहसीलदार,नीमराना को भेजी जावे। पत्रावली फैसलशुमार हो कर दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

21/6/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)